E-Mail

दूरभाषः– 286709
286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0
नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रांक 1161/198/तीन/2017–18 दिनॉक 30/6/2017

प्राथमिकता/सूचना का अधिकार

समस्त जनसूचना अधिकारी/परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयान्तर्गत त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 35 मंत्री/नौ–8–2017–10ज/2017 दिनांक 12.06.2017 द्वारा प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्यकरण में उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि तथा पारदर्शिता लाने हेतु लोक प्राधिकरणके नियंत्रण सम्बन्धी सूचना की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों के अधिकार विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवेदकों को त्वरित सूचना उपलब्ध कराने हेतु नियंत्रणाधीन जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एतदद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों, अपीलीय प्रार्थना पत्रों एवं अधिनियम अन्तर्गत आपको अन्तरित किये गये प्रकरणों पर अधिनियम द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदकों/अपीलार्थी को सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक,

पत्रांक एवं दिनांक तदैव,
प्रतिलिपि राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 के समस्त प्रभाग, एन0यू0एल0एम0 प्रभाग को उक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/कार्यक्रम अधिकारी, सूडा को सूचनार्थ।
3. बेवमास्टर सूडा को उक्त पत्र अभिकरण की बेवसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक,